



संख्या: लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10 का0आ0/2023-24

दिनांक: 02 जुलाई, 2023

कार्यालयादेश

कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर की गाइडलाइन्स के अनुसार वास्तुकला संस्थाओं में "अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेल" (S.C. & S.T Cell) की स्थापना को अनिवार्य किया गया है। अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की कठिनाइयों/समस्याओं के सामयिक निराकरण हेतु "अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेल" (S.C. & S.T Cell) का निम्नवत् पुर्नगठन किया जाता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यालयादेश संख्या:लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10का0आ0/2019-20/01-202 दिनांक 17 फरवरी, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

1. श्री राकेश पैजवार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अध्यक्ष।
2. श्रीमती फरहीन बानो, असिस्टेन्ट प्रोफेसर सदस्य।
3. श्री प्रभात कुमार राव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर सदस्य।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

(प्रो0वन्दना सहगल)
प्रधानाचार्या एवं अधिष्ठाता।

प्रतिलिपि संख्या लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10 का0आ0/2023-24/ 01-1103 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विभागाध्यक्ष।
2. कुलानुशासक।
3. समिति के उपरोक्त समस्त सदस्यों को।
4. समस्त स्टॉफ मेम्बर्स को सरकुलेशन द्वारा।
5. नोटिस बोर्ड्स।
6. गार्ड फाइल।

(प्रो0वन्दना सहगल)
प्रधानाचार्या एवं अधिष्ठाता।